उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
11/2020/संख्या-568/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी
लखनऊ दिनांक: 9 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं0- 303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020, सं0 314/सा-का-4-2020 दिनांक 17 अप्रैल, 2020, सं0-362/सा0-का-4-2020-303/2020 टीसी 23 मई 2020 एवं सं0-10/2020/382/सा0-का-4-2020-/2020 टीसी 31 मई 2020 के अनुक्रम में अधोस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढती हुयी संख्या के दृष्टिगत कार्यालयों में सोशल डिस्टैन्सिंग की स्थिति का आंकलन संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव तथा विभागाध्यक्षों द्वारा स्वयं कर लिया जाए । यह अधिकारी समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के 50 प्रतिशत कर्मचारियों तक रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लें। समूह 'क' एवं 'ख' के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेगें।

2- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

3- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकेगी।

4- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

5- प्रत्येक आफिस में कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए जो कोरोना से बचाव की आवश्यक जानकारी दे सकें।

6- प्रत्येक कार्यालय में आने वाले कार्मिकों की थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग अवश्य की जाए तथा सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखी जाए साथ ही कार्यालयों का विसंक्रमण (Disinfection) कराया जाए ताकि कोरोना प्रसार न हो।

7- अगर किसी कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मामले पाये जाते हैं तो उस कार्यालय का विसंक्रमण (Disinfection) जल्द ही (24 घण्टे में) कराया जाए जिससे कार्यालय लंबे समय तक बंद न रहे तथा जनसामान्य को कोई असुविधा न हो।

8- सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क के उपयोग का पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए ।

9- प्रत्येक विभाग द्वारा वर्क फ्राम होम कर्मचारियों की संख्या एकत्रित कर कार्मिक विभाग को निम्न प्रारूप पर दिनांक 14/07/2020 तक उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रारूप

विभाग:-

क्रम संख्या	कार्यालय	कुल पदस्थ कर्मचारियों की संख्या	वर्क फ्राम होम से कार्य कर रहे कर्मियों की संख्या

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-568/(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)

अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।